भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 153
(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवंबर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया)

कंपनी नियम 2014 में संशोधन

153. श्री श्रीधर कोटागिरीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए कोई अधिसूचना जारी की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ''कंपनी के वित्तपोषण के कार्य को'' औद्योगिक उद्यमों के वित्तपोषण का कार्य'' शब्दों के साथ प्रतिस्थापित करने के मुख्य कारण क्या हैं और प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप सरकार को क्या लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है;
(ग) क्या सरकार ने हाल ही में कंपनी (लागत रिकार्ड और संपरीक्षा) नियम में संशोधन करने हेतु कोई अधिसूचना जारी की है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व केन्द्र सरकार के पास वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु फार्म सी आर ए-4 में अपनी लागू संपरीक्षा रिपोर्ट पहले से भरने वाली कंपनियों को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु अपनी लागत संपरीक्षा रिपोर्ट भरनी होगी; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): मंत्रालय ने कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए दिनांक 11.10.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 777(अ) जारी की है। नियमों में ऐसे संशोधन के माध्यम से, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 11(2) में प्रयुक्त "कंपनियों के वित्तपोषण संबंधी कार्य" शब्दों को कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित धारा 186(11) [कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017 (सीएए-17) की धारा 62 के द्वारा संशोधित है जो दिनांक 07 मई, 2018 को प्रवृत्त हुआ था] के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे नियमों को बनाने के लिए "औद्योगिक उद्यमों के वित्तपोषण संबंधी कार्य" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। धारा 186 की संशोधित उपधारा (11) में, "कंपनियों के वित्तपोषण संबंधी कार्य" शब्दो को "औद्योगिक उद्यमों के वित्तपोषण संबंधी कार्य" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में उक्त संशोधन फरवरी, 2016 में प्रस्तुत की गई

कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट [रिपोर्ट का पृष्ठ 61] के आधार पर किए गए थे जिनका पाठ निम्नानुसार हैः-

"12.21 समिति ने नोट किया कि जैसे धारा 186(11)(ख)(iii) अधिनियम की धारा 62(1)(क) के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा राइट इश्यू के अनुसरण में आबंटित शेयरों में निवेश की छूट का प्रावधान करती है, उसी तरह कारपोरेट निकायों (भारत से बाहर निगमित कंपनियां) द्वारा किए जाने वाले राइट इश्यू में निवेश पर भी छूट दी जाए। इस संबंध में छूट प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372क (8) के अनुरूप किए जाएं। इसके अतिरिक्त, समिति ने सिफारिश की है कि जनवरी, 2015 में जारी किए गए बीमा और वित्त कंपनियों के संबंध में धारा 186(11) के लिए कठिनाइयों को दूर करने का आदेश, कानूनी स्पष्टीकरण के आधार पर, संशोधन के माध्यम से इस उपधारा में शामिल किया जाए। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372क(8) की भाषा प्रयुक्त की जाए।

यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि "औद्योगिक उद्यमों को वित्तपोषण" शब्दों का प्रयोग कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372क(8)(क)(झ) में भी हुआ है। इसे देखते हुए, "कंपनियों के वित्तपोषण संबंधी कार्य" शब्दों को कंपनी अधिनियम, 2013 [सीए-13] की धारा 186(11) और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 11(2) में भी "औद्योगिक उद्यमों के संबंध में वित्तपोषण कार्य" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ग): मंत्रालय ने दिनांक 15.10.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) के माध्यम से जीएसटी लागू होने, अन्य प्रक्रियात्मक परिवर्तनों और परिणामस्वरूप संबंधित प्रपत्रों अर्थात् सीआरए-1 (लागतों के मदों से संबंधित ब्यौरे लेखा-बहियों में शामिल किए जाएं) और सीआरए-3 (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रपत्र) में संशोधन के कारण कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2019 के द्वारा कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 में संशोधन किया। उक्त अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर है और पब्लिक डोमेन में रखी गई है।

(घ) और (ङ): जो कंपनियां दिनांक 15.10.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) के प्रकाशन से पहले ही वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीआरए-4 में अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दायर कर चुकी हैं उन्हें पूर्वोक्त अधिसूचना के खंड 1(3) में किए गए प्रावधान के अनुसार उक्त वित्तीय वर्ष के लिए फिर से अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट दायर करने की आवश्यकता नहीं है। खंड 1(3) का पाठ निम्नानुसार पुनः तैयार किया गया हैः

"जो कंपनियां उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से पहले ही वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रपत्र सीआरए-4 में अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दायर कर चुकी हैं उन्हें उक्त वित्तीय वर्ष के लिए फिर से अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट दायर करने की आवश्यकता नहीं है।"

यह अधिसूचना दिनांक 15.10.2019 को प्रवृत्त हुई है।

****